



# Government of West Bengal Department of Food & Supplies খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার e-Ration Card



## Information

- E-Ration Card has the same validity as that of a printed Digital Ration Card and can be used to draw food-grains and kerosene oil under Public Distribution System(PDS) from Fair Price Shops.
- All e-Ration Cards with (I) before the card number (e.g. (I) RKS-Y-I 0000000001) indicate Inactive Ration Card.
- All e-Ration Cards need to be activated through fingerprint/OTP based authentication. Fingerprint-based authentication can be done from any ration shop or Food Inspector office, or Bangla Sahayata Kendra and OTP based authentication can be done from [www.food.wb.gov.in](http://www.food.wb.gov.in) with OTP in registered mobile number in Aadhaar.
- Any beneficiary presenting active e-Ration Card cannot be denied food-grains under PDS.

## তথ্যাবলী

- ই-রেশন কার্ড এবং প্রিন্টেড ডিজিটাল রেশন কার্ডের বৈধতা সমান এবং ই-রেশন কার্ড মারফত ন্যায্যমূল্যের রেশন দোকান থেকে গণ বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বরাদ্দ খাদ্যসামগ্রী এবং কেরোসিন তেল পাওয়া যাবে।
- যেসমস্ত ই-রেশন কার্ডে কার্ড নাম্বারের আগে (I) (যেমন (I) RKS-Y-I 0000000001) আছে সেইসমস্ত কার্ড নিষ্ক্রিয়।
- রেশন কার্ড সক্রিয় করার জন্য আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে/ ওটিপি দিয়ে ই-কেওয়াইসি করতে হবে। যে কোন রেশন দোকানে অথবা খাদ্য পরিদর্শকের অফিসে অথবা বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে ই-কেওয়াইসি করা যাবে এবং আধারের সঙ্গে লিঙ্কড থাকা মোবাইল নাম্বারে ওটিপি-র মাধ্যমে [www.food.wb.gov.in](http://www.food.wb.gov.in) থেকে ই-কেওয়াইসি করা যাবে।
- শুধু ই-রেশন কার্ডের কপি দেখানোর জন্য উপভোক্তাকে বরাদ্দ রেশন সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

## জানকারী

- ই-রেশন কার্ড কী বৈধতা মুদ্রিত ডিজিটাল রেশন কার্ড কী तरह ही होती है और इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न और मिट्टी के तेल को निकालने के लिए किया जा सकता है।
- सभी ई-रेशन कार्ड (I) कार्ड नंबर से पहले (जैसे (I) RKS-Y-I 0000000001) निष्क्रिय रेशन कार्ड दर्शाते हैं।
- सभी ई-रेशन कार्ड को फिंगरप्रिंट/ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से सक्रिय करने की आवश्यकता है। फिंगरप्रिंट आधारित प्रमाणीकरण किसी भी राशन की दुकान या खाद्य निरीक्षक कार्यालय या बांग्ला सहायता केंद्र से किया जा सकता है और आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी के साथ [www.food.wb.gov.in](http://www.food.wb.gov.in) से ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण किया जा सकता है।
- सक्रिय ई-रेशन कार्ड प्रस्तुत करने वाले किसी भी लाभार्थी को पीडीएस के तहत खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जा सकता है।

## জানকারী

- ই-রেশন কার্ড কী বৈধতা মুদ্রিত ডিজিটাল রেশন কার্ড কী तरह ही होती है और इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न और मिट्टी के तेल को निकालने के लिए किया जा सकता है।
- सभी ई-रेशन कार्ड (I) कार्ड नंबर से पहले (जैसे (I) RKS-Y-I 0000000001) निष्क्रिय रेशन कार्ड दर्शाते हैं।
- सभी ई-रेशन कार्ड को फिंगरप्रिंट/ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से सक्रिय करने की आवश्यकता है। फिंगरप्रिंट आधारित प्रमाणीकरण किसी भी राशन की दुकान या खाद्य निरीक्षक कार्यालय या बांग्ला सहायता केंद्र से किया जा सकता है और आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी के साथ [www.food.wb.gov.in](http://www.food.wb.gov.in) से ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण किया जा सकता है।
- सक्रिय ई-रेशन कार्ड प्रस्तुत करने वाले किसी भी लाभार्थी को पीडीएस के तहत खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जा सकता है।

## জানকারী

- ই-রেশন কার্ড কী বৈধতা মুদ্রিত ডিজিটাল রেশন কার্ড কী तरह ही होती है और इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न और मिट्टी के তেল को निकালने के लिए किया जा सकता है।
- सभी ई-रेशन कार्ड (I) कार्ड नंबर से पहले (जैसे (I) RKS-Y-I 0000000001) निष्क्रिय रेशन कार्ड दर्शाते हैं।
- सभी ई-रेशन कार्ड को फिंगरप्रिंट/ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से सक्रिय करने की आवश्यकता है। फिंगरप्रिंट आधारित प्रमाणीकरण किसी भी राशन की दुकान या खाद्य निरीक्षक कार्यालय या बांग्ला सहायता केंद्र से किया जा सकता है और आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी के साथ [www.food.wb.gov.in](http://www.food.wb.gov.in) से ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण किया जा सकता है।
- सक्रिय ई-रेशन कार्ड प्रस्तुत करने वाले किसी भी लाभार्थी को पीडीएस के तहत खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जा सकता है।

## জানকারী

- ই-রেশন কার্ড কী বৈধতা মুদ্রিত ডিজিটাল রেশন কার্ড কী तरह ही होती है और इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न और मिट्टी के तেল को निकালने के लिए किया जा सकता है।
- सभी ई-रेशन कार्ड (I) कार्ड नंबर से पहले (जैसे (I) RKS-Y-I 0000000001) निष्क्रिय रेशन कार्ड दर्शाते हैं।
- सभी ई-रेशन कार्ड को फिंगरप्रिंट/ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से सक्रিয় करने की आवश्यकता है। फिंगरप्रिंट आधारित प्रमाणीकरण किसी भी राशन की दुकान या खाद्य निरीक्षक कार्यालय या बांग्ला सहायता केंद्र से किया जा सकता है और आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी के साथ [www.food.wb.gov.in](http://www.food.wb.gov.in) से ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण किया जा सकता है।
- सक्रिय ई-रेशन कार्ड प्रस्तुत करने वाले किसी भी लाभार्थी को पीडीएस के तहत खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जा सकता है।

## জানকারী

- ই-রেশন কার্ড কী বৈধতা মুদ্রিত ডিজিটাল রেশন কার্ড কী तरह ही होती है और इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न और मिट्टी के तেল को निकালने के लिए किया जा सकता है।
- सभी ई-रेशन कार्ड (I) कार्ड नंबर से पहले (जैसे (I) RKS-Y-I 0000000001) निष्क्रिय रेशन कार्ड दर्शाते हैं।
- सभी ई-रेशन कार्ड को फिंगरप्रिंट/ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से सक्रिय करने की आवश्यकता है। फिंगरप्रिंट आधारित प्रमाणीकरण किसी भी राशन की दुकान या खाद्य निरीक्षक कार्यालय या बांग्ला सहायता केंद्र से किया जा सकता है और आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी के साथ [www.food.wb.gov.in](http://www.food.wb.gov.in) से ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण किया जा सकता है।
- सक्रिय ई-रेशन कार्ड प्रस्तुत करने वाले किसी भी लाभार्थी को पीडीएस के तहत खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जा सकता है।

## জানকারী

- ই-রেশন কার্ড কী বৈধতা মুদ্রিত ডিজিটাল রেশন কার্ড কী तरह ही होती है और इसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न और मिट्टী के तेल को निकालने के लिए किया जा सकता है।
- सभी ई-रेशन कार्ड (I) कार्ड नंबर से पहले (जैसे (I) RKS-Y-I 0000000001) निष्क्रिय रेशन कार्ड दर्शाते हैं।
- सभी ई-रेशन कार्ड को फिंगरप्रिंट/ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से सक्रिय करने की आवश्यकता है। फिंगरप्रिंट आधारित प्रमाणीकरण किसी भी राशन की दुकान या खाद्य निरीक्षक कार्यालय या बांग्ला सहायता केंद्र से किया जा सकता है और आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी के साथ [www.food.wb.gov.in](http://www.food.wb.gov.in) से ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण किया जा सकता है।
- सक्रिय ई-रेशन कार्ड प्रस्तुत करने वाले किसी भी लाभार्थी को पीडीएस के तहत खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जा सकता है।

## জানকারী

Ration Card Number: GEN 2009276561

Name: PRAKRITISH BHOWMICK

Printed On: 08/07/2022 22:51:19



- Denotes Active Card
- Denotes Card is active but aadhar not seeded
- Denotes Deactivated / Inactive Card

Card Status

Scan this QR Code to see Last 2 Transaction you have done from your Card.



পশ্চিমবঙ্গ সরকার  
খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর  
(Non Subsidized Food Grains Card)  
Digital Ration Card ID : GEN 2009276561



Name : PRAKRITISH BHOWMICK

Father's/Mother's/ PRADIP BHOWMICK  
Husband's Name :

Date of Birth : 1987-05-03

Dealer Name : BIMAN DASGUPTA

Dealer Code : 132901600005



Help Desk: 1800 345 5505 / 1967(TOLL FREE) 8AM-8PM  
Website: food.wb.gov.in Whatsapp: 99030 55505



\*2009276561\*

Address : GURIAHATI PS:KOTWALI PO:COOCH BEHAR

Ward :

Village/Municipality : Chhat Guriahati

Gram Panchayat (For Rural Areas) :

Block :

Police Station :

District : COOCHBEHAR

PinCode : 736101

Date : 08/07/2022

SCFS-Coochbihar(Sadar)

Signature of Issuing Officer